



सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय /
AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बंगलूर
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI
BENGALURU- 560300

लोक सूचना सं 49/2020, PUBLIC NOTICE. NO.49/2020,

दिनांक/DATED:17.09.2020

दस्तावेज पहचान सं /DIN - 20200972MP00000T841D

विषय त्वरित कार्गो निकासी प्रणाली के अधीन स्वचालित निर्यात निकासी के संबंध में

**Subject: Auto Let Export Order under Express Cargo
Clearance System (ECCS)-reg**

सभी कोरियर कंपनी, संरक्षकों , आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, और अन्य पणधरियों का ध्यान उपर्युक्त विषय के संबंध में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के दिनांक 07.09.2020, के परिपत्र सं 41/2020-सीमा शुल्क की ओर ध्यानाकर्षित किया जा रहा है ।

Attention of the Courier Companies, Custodians, Importers, Exporters and all other Stakeholders is invited to the Circular No.41/2020-Customs, dated.07.09.2020, issued by Central Board of Indirect Taxes and Customs, on the subject matter.

- उपर्युक्त के संबंध, कोरियर द्वारा किये जानेवाले निर्यात को सुविधा प्रदान करने एवं भारतीय निर्यातकर्ताओं में वियवव्यापी प्रतियोगितात्मकता को उन्नयन करने के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने त्वरित कार्गो निकासी प्रणाली के अधीन स्वचालित निर्यात आदेश की जारी की सुविधा को प्रदत्त करने के लिए निर्णय लिया है ।

In the above connection, in order to facilitate exports by courier and to enhance the global competitiveness of India's exporters, the CBIC has decided to allow the facility of Auto Let Export Order (LEO) under the Express Cargo Clearance System.

3. स्वचालित निर्यात आदेश जारी प्रणाली, प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन महा निदेशालय द्वारा विकसित किया गया है और लांच करने के लिए तैयार है ।

The facility of Auto LEO has been developed by Directorate General of Systems & Data Management and is ready for launch.

4. ईसीसीएस के अधीन निर्यात किये गए वस्तुओं की निकासी के लिए दायर किये गए कोरियर संबंधी लदान बिल , संरक्षकों द्वारा वस्तुओं का पंजीकरण (आगम स्कैन एवं बजन रिकार्ड करने के बाद) जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अधीन होंगे । जोखिम प्रबंधन प्रणाली जोखिम पैरामीटर के अनुसार कोरियर संबंधी लदान बिल को या तो आगे बढ़ाती है या रोक देता है ।

The Courier Shipping Bills (CSBs) filed for clearance of export goods under ECCS are subjected to Risk Management System (RMS), after the registration of the goods by the Custodian (arrival scan and weight record). The RMS either facilitates or interdicts a Courier Shipping Bill (CSB) as per risk parameters

5. यह निर्णय लिया गया है कि, सीएसबी के अधीन आनेवाले निर्यातित वस्तु, जो आर.एम.एस द्वारा पूरे रूप से आगे बढ़ा दिया गया (बिना निर्धारण, बिना परीक्षण) और


सीमा शुल्क एक्स रे स्कैनिंग द्वारा निकासी किये गए उनके लिए ई.सी.सी.एस के अधीन स्वचालित रूप से एल.ई.ओ दी जाएगी । आशा है कि कोरियर द्वारा किये जानेवाले निर्यात लदाई की निकासी से संबंधित ड्वेल समय को कम करेगा ।

It has been decided, that export goods which are covered under CSBs, and are fully facilitated by RMS (no assessment, no examination) and cleared by customs x-ray scanning will be automatically given LEO by the ECCS. This is expected to considerably reduce the dwell time of clearance of export shipments through courier.

6. इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों के अनुसार ली जानेवाली कार्रवाई के संबंध में अधिकारियों को इस लोक सूचना को स्थायी आदेश के रूप में विचार किया जाना है । Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

7. उपर्युक्त को सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जा रहा है । सामने किये गए तकलीफों एवं सुझाओं यदि हो तो उप आयुक्त, सीमा शुल्क, कोरियर को उनके दूर भाष सं 080-667856602/080-66785640 या उनके ई मेल पता courier-bacc@gov.in में सूचित कर सकते हैं ।

The above is brought to the notice of all the concerned. Difficulties, if any, may be brought to the notice of Deputy Commissioner (Courier), 080-667856602/080-66785640-E-mail- courier-bacc@gov.in.



(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त /PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईल सं /Issued from File C.No. VIII/48/97/2020 BACC TECH pt file 2 के तहत जारी किया जाता है

प्रति प्रस्तुत /Copy submitted to:

मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, बेंगलूरु, अंचल, केंद्रीय राजस्व भवन, बेंगलूरु
The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building,
Bengaluru.

Copy to:

1 एयरपोर्ट एवं एसीसी आयुक्तालय, बेंगलूरु के सभी अपर आयुक्त/संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त/सहायक आयुक्त

All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru

2) फेडरेशन ऑफ कर्नाटका , चेंबर ऑफ कामर्स एवं उद्योग(एफ.के.सीसीआई) सं 9996, केंपेगौडा रोड, गांधीनगर, बेंगलूरु/ Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru.

3) बेंगलूरु सीमा शुल्क ब्रोकर्स संगठन, 71, कार्गो विल्लेज, बी ब्लॉक, बेंगलूरु ,अंतर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट , देवनहल्ली , बेंगलूरु

Bangalore Customs Brokers Association, No.71, Cargo Village, B-Block, Bengaluru International Airport, Devanahalli, Bengaluru

4) सभी एयर लाईन्स उनके संगठन द्वारा All Airlines through Association.

5) फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आरगनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ.) पहला तल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु/ Federation of Indian Export Organisation (FIEO), Ist Floor, VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru

6) सभी संरक्षकों / All Custodians

7) . बेंगलूरु सीमा शुल्क वेबसाइट Bengaluru Customs Website

8) सूचनापट्ट / Notice Board.

9) बेंगलूरु से प्रचलित सभी कोरियर एजेंसी / All Courier Agencies Operating at Bengaluru (through Courier Association)

10) मास्टर फाईल/ Master file